(54)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निग0 2649–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेष दिनांक 13–6–16 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 7/2014–15/अपील.

———

श्रीमती लक्ष्मी सारस्वत पत्नी
श्री ओमप्रकाश सारस्वत
निवासी 1 जयविलास पैलेस परिसर
ग्वालियर ——— आवेदक

विरूद्ध

1– आबाद बापूना पुत्र श्री दिनशा बापूना
निवासी 5 सी, गांधी रोड, ग्वालियर म0प्र0
2– आदिन बापूना पुत्र श्री दिनशा बापूना
निवासी 5 सी, गांधी रोड, ग्वालियर म0प्र0
3– म0प्र0 शासन ग्वालियर ——— अनावेदकगण

———

आवेदिका की ओर से अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा ।
अनावेदक कमांक 1 एवं 2 की ओर से अभिभाषक श्री समीर कुमार श्रीवास्तव ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 5/5/18 को पारित)

———

यह निगरानी आवेदिका द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 7/14–15/अपील में पारित आदेश दिनांक 13.6.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसील ग्वालियर के महलगांव में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 567 मिन रकवा 0.342 हेक्टेयर में 1/3 यानि रकवा 1 बीघा 5 विस्वा भूमि पर वसीयतकर्ता चौखेलाल शर्मा द्वारा संपादित वसीयतनामे के आधार पर वसीयतगृहिता श्रीमती लक्ष्मी सारस्वत द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष नामांतरण किये जाने बावत आवेदनपत्र प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 78/202–2003/अ–6 पर दर्ज

करते हुये आदेश दिनांक 21.7.2003 से प्रश्नाधीन भूमि पर वसीयतनामे के आधार पर निगरानीकर्ता लक्ष्मी सारस्वत के नाम नामांतरण स्वीकार किया गया। विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 21.7.2003 से परिवेदित होकर अपील अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर के समक्ष अनावेदक द्वारा दिनांक 11.2.2014 को प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत करने में हुये विलंब को माफ किये जाने के संबंध में विद्वान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19.8.2014 को विलंब माफ किया जाकर प्रकरण का गुण–दोशों पर निराकरण किया गया तथा अनावेदक की अपील स्वीकार कर तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर अनावेदक का नाम नामांतरित करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्व निगरानीकर्ता द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा भी निगरानीकर्ता की अपील निरस्त की जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि प्रश्नाधीन भूमि के स्वामी चौखेलाल शर्मा, चन्द्रमोहन शर्मा एवं प्रतिपाल शर्मा थे। उनमें से चौखेलाल शर्मा जो निगरानीकर्ता के रिश्ते में ससुर होते है उनके द्वारा विधिवत एक वसीयत दिनांक 30.6.1987 को सम्पादित की जिसमें उन्होंने विवादित सम्पत्ति निगरानीकर्ता को वसीयत में देना स्वीकार किया। उक्त वसीयत के आधार पर दिनांक 8.4.2003 को निगरानीकर्ता द्वारा अपना नामांतरण कराने हेतु तहसीलदार ग्वालियर के समक्ष आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर विधिवत कार्यवाही करते हुए आवेदिका का नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि उक्त आदेश के विरूद्व 11 वर्ष उपरांत अपील अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई जिसका युक्तियुक्त कारण उनके द्वारा नहीं बताया गया। निगरानीकर्ता के अभिभाषक अनुसार क्योंकि धारा 5 के आवेदन में अनावेदक द्वारा देरी को क्षमा करने का उचित कारण नहीं बताया इसलिये विद्वान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में 11 वर्ष का विलंब माफ किये जाने में वैधानिक त्रुटि है। तर्क के दौरान उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्व इस न्यायालय में उन्होंने एक निगरानी प्रस्तुत की थी जो बाद में इसलिये निरस्त हो गई क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर दिया गया

था। निगरानीकर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि चौखेलाल की मृत्यु दिनांक 16.1.1989 को हो गई थी इसलिये सिविल न्यायालय द्वारा जो प्रकरण क्रमांक 34–ए/88 में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.10.1990 पारित किया है वह मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित किया है इसलिये वह null and void है उक्त निर्णय एवं डिक्री से प्रत्यर्थी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है और क्योंकि वह निर्णय एवं डिक्री void ab initio है इसलिये वह निश्प्रभावी है एवं उसको संज्ञान में लेकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक की अपील स्वीकार नहीं की जा सकती थी।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा जानबूझकर मृत व्यक्ति के लिये आदेश लिया गया है इसलिये प्रत्यर्थी उक्त आदेश का लाभ नहीं ले सकता। अपीलार्थी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया कि अगर मान भी लिया जाये कि वह वसीयत नहीं तो भी मृतक चौखेलाल की बहू होने के आधार पर उक्त सम्पत्ति की वह वारिश है इसलिये भी उत्तराधिकार के आधार पर निगरानीकर्ता का नाम राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज होना चाहिये। अपने तर्कों के समर्थन में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1971 जेएलजे 49, 2015 आर0एन0 107/160 एवं 1990 वॉल्यूम 2 एमपीडब्लूएन नोट–4 का हवाला देते हुए निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 एवं 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह बताया गया कि दिनांक 2.12.1987 को चौखेलाल, प्रतिपाल एवं चन्द्रमोहन द्वारा उनके पक्ष में एक विक्रय अनुबंध संपादित किया था जो इन व्यक्तियों द्वारा पूरा नहीं किया उसके फलस्वरूप अनावेदक द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 34–ए/1988 दायर किया। उक्त सिविल वाद में पहले तो इन तीनों व्यक्तियों द्वारा अपना जबाब दावा प्रकरण में प्रस्तुत किया मगर बाद में यह सभी व्यक्ति जिसमें चौखेलाल भी शामिल था वह प्रकरण में जानबूझकर हाजिर नहीं हुये एवं इसलिये प्रकरण उनके विरूद्व एकपक्षीय हो गया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि क्योंकि चौखेलाल एवं अन्य व्यक्ति एकपक्षीय हो गये थे इसलिये प्रत्यर्थी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि चौखेलाल की मृत्यु हो चुकी है वैसे भी जब चौखेलाल, प्रतिपाल एवं चन्द्रमोहन एकपक्षीय हो गये थे तब उनके बाद उनके वारिसों को लाना रिकार्ड पर लाना जरूरी नहीं था। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं जयपत्र दिनांक 4.10.1990 में प्रत्यर्थी का वाद स्वीकार कर विवादित सम्पत्ति

का विक्रय पत्र संपादित करने का आदेश प्रदान किया गया एवं जब इजरा प्रकरण में भी चौखेलाल, चन्द्रमोहन एवं प्रतिपाल हाजिर नहीं हुये तब न्यायालय द्वारा स्वयं आदेश 21 के प्रावधान अनुसार विक्रयपत्र प्रत्यर्थी के पक्ष में संपादित कराया गया। प्रत्यर्थी के अभिभाषक के अनुसार उक्त निर्णय एवं डिक्री राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी एवं जब तक उस निर्णय एवं डिक्री किसी सक्षम या वरिश्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती तब तक वह निर्णय एवं डिक्री प्रकरण के समस्त पक्षकारों पर बंधनकारी है।

अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विलंब के बिन्दु पर बताया गया कि विद्वान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलंब को क्षमा किया गया था एवं उस आदेश के विरूद्व निगरानीकर्ता द्वारा एक निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी जो कि इस कारण निरस्त हुई क्योंकि प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित कर दिया गया था। अतः जब निगरानीकर्ता द्वारा विलंब को क्षमा करने के विरूद्व जो निगरानी प्रस्तुत की उसके निराकरण के समय इस बावत कोई लिबर्टी नहीं ली कि विलंब के बिन्दु पर उसे उक्त अपील में चुनौती दे सके इसलिये निगरानी के दौरान विलंब के बिन्दु को दोहराया नहीं जा सकता। अनावेदक अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान इस बात पर आकर्षित किया कि निगरानीकर्ता द्वारा कभी भी तहसीलदार के समक्ष मूल वसीयत प्रस्तुत नहीं की जो तहसीलदार के न्यायालय के आदेश पत्रिका से स्पष्ट है अतः फोटोप्रति के आधार पर नामांतरण नहीं किया जाना चाहिये इसलिये नामांतरण की कार्यवाही संदिग्ध है, उन्होंने इस बात की ओर भी ध्यानाकर्षित कराया कि वसीयत संदिग्ध है क्योंकि मूल वसीयत पेश नहीं की है एवं वसीयत के निश्पादन के करीब 14 वर्श बाद नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो वसीयत को संदिग्ध होने का प्रमाण है। प्रत्यर्थी के अनुसार क्यूंकि निगरानीकर्ता को सिविल न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की जानकारी थी इसलिये उसने फर्जी वसीयत बनाकर सम्पत्ति पर अपना नामांतरण कराने की अवैधानिक कार्यवाही की।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस निगरानी के लंबन काल के दौरान एक आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 का प्रस्तुत किया एवं अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य जो कि सत्यप्रतिलिपि के रूप में दस्तावेज है, को रिकार्ड पर लेने की प्रार्थना की गई।

6/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन का पद वार जबाब प्रस्तुत किया एवं उसमें यह आपत्ति ली गई कि आदेश 41 नियम 27 के प्रावधान निगरानी में लागू नहीं होते एवं सिर्फ अपील में लागू होते है एवं निगरानीकर्ता द्वारा आदेश 41 नियम 27 के प्रावधानों के अंतर्गत इस बात का कोई स्पश्टीकरण नहीं दिया है कि आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज जानकारी में होने के उपरांत भी निगरानीकर्ता द्वारा पूर्व में प्रस्तुत नहीं किये गये एवं प्रस्तुत न करने का कोई भी कारण अपने आवेदन में उल्लेखित नहीं किया।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । प्रकरण में यह अविवादित तथ्य है कि प्रश्नाधीन सम्पत्ति के लिये सिविल न्यायालय द्वारा अनावेदक के पक्ष में डिक्री पारित की गई है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सिविल न्यायालयों के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होते है। अतः जब निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.10.1990 के पालन में प्रत्यर्थी विवादित सम्पत्ति के मालिक हो गये थे तब सन् 2003 में तहसीलदार द्वारा विवादित सम्पत्ति का नामांतरण निगरानीकर्ता के पक्ष में नहीं किया जा सकता है। निगरानीकर्ता द्वारा दिया गया यह तर्क कि चौखेलाल की मृत्यु दिनांक 16.1.1989 हो गई थी इसलिये सिविल न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री null & void स्वीकार योग्य नहीं है यदि निगरानीकर्ता इस बात को सिद्ध करना चाहता है कि चौखेलाल की मृत्यु दिनांक 16.1.1989 को हुई है तो इस मृत्यु के फलस्वरूप निर्णय एवं डिकी शून्य है तब उसे इस बात के लिये किसी सक्षम न्यायालय में या वरिष्ठ न्यायालय में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.10.1990 को चुनौती दिया जाना चाहिये एवं उक्त निर्णय को void declare कराने की प्रार्थना की जानी चाहिये। यह न्यायालय में स्वमेव ही सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को null & void घोषित करने की अधिकारिता नहीं रखता है उसके लिये निगरानीकर्ता को सक्षम सिविल न्यायालय एवं वरिष्ठ न्यायालय में जाना पड़ेगा। मैं अनावेदक के इस तर्क से भी सहमत हूँ कि जब न्यायालय के समक्ष चौखेलाल एवं अन्य एकपक्षीय हो गये तब उनकी मृत्यु का प्रभाव अंतिम निर्णय एवं डिक्री पर नहीं पड़ेगा क्योंकि न्यायालय के लिये वे सभी पक्षकार एकपक्षीय हो चुके है इसलिये भी उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्व जाकर राजस्व न्यायालय नामांतरण का आदेश पारित नहीं कर सकती है।

6/ जहां तक निगरानीकर्ता द्वारा विलंब को क्षमा करने के संबंध में जो तर्क दिये है वे भी स्वीकार योग्य नहीं है। अविवादित रूप से अनावेदक के पक्ष में सिविल न्यायालय की निर्णय एवं डिक्री है जो कि राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है अभिलेख से स्पष्ट है कि अनावेदक को कोई सूचना तहसील न्यायालय द्वारा नहीं दी गई थी एवं जो आम सूचना का प्रकाशन भी किया गया था वो भी विधि के अनुरूप नहीं है। दिनांक 8.4.2003 को प्रकरण पेश हुआ एवं उसके बाद दिनांक 12.5.2003, 28.5.2003 एवं 23.6.2003 को इश्तहार प्राप्त नहीं हुआ। दिनांक 2.7.2003 को तहसीलदार न्यायालय ने यह अंकित किया है कि इश्तहार तामील होकर प्राप्त हुआ है मगर आम इश्तहार की प्रति जो अभिलेख पर संलग्न है, वो दिनांक 28.5.2003 को जारी हुई है ना कि दिनांक 8.4.2003 को। अतः आम इश्तहार भी विधिवत जारी नहीं हुआ है क्योंकि प्रकरण में दिनांक 8.4.2003 का कोई भी इश्तहार संलग्न नहीं है दिनांक 28.5.2003 को इश्तहार जारी करने का कोई आदेश नहीं है इसलिये तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही निरस्ती योग्य है। प्रकरण के अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि निगरानीकर्ता द्वारा कभी भी मूल वसीयत नामांतरण हेतु प्रस्तुत नहीं की सिर्फ फोटोप्रति प्रस्तुत की है। प्रकरण के किसी भी आदेश पत्रिका में मूल प्रति पेश होने का उल्लेख नहीं है इसलिये भी तहसीलदार द्वारा की गई समस्त कार्यवाही निरस्त योग्य थी।

7/ मेरे द्वारा आदेश 41 नियम 27 के आवेदनपत्र पर भी विचार किया गया। आदेश 41 नियम 27 के प्रावधान अपील में लागू होते है, निगरानी में नहीं होते है। संहिता में निगरानी में अतिरिक्त साक्ष्य लिये जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है एवं ना ही व्यवहार प्रक्रिया संहिता में निगरानी में अतिरिक्त साक्ष्य लिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है इसलिये आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पोषणीय ना होकर निरस्ती योग्य है। गुण–दोषों पर भी उक्त आवेदन निरस्त योग्य है क्योंकि सम्पूर्ण आवेदन में उनके द्वारा कहीं भी यह तथ्य नही बताया गया कि सम्यक तत्परता बरतने के बावजूद भी उक्त दस्तावेज पेश नहीं किये जा सकते थे एवं आवेदन में इस बात का कोई भी कारण युक्तियुक्त रूप से दर्शित नहीं किया है कि संबंधित अभिलेख पूर्व में प्रस्तुत क्यों नहीं किये गये। अतः आवेदन निरस्त किया जाता है। निगरानीकर्ता द्वारा जो तथ्य निगरानी में उठाये है वह तथ्य पूर्व में भी उनके द्वारा अपीलीय न्यायालयों में उठाये गये थे जिन पर विधिवत विचार कर अपीलीय न्यायालयों ने आदेश पारित किया है ।

अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपीलीय न्यायालयों के जो निर्णय हैं वे न्यायिक एवं विधिसम्मत होने से पुष्टि योग्य हैं ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–6–16 स्थिर रखा जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर